भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 360
2 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों में अनियमितताएं

360. श्री काली चरण सिंहः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैग या सतर्कता रिपोर्टों ने इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनियमितताओं को उजागर किया है और यदि हां, तो जवाबदेही तय करने और अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) खरीद और सीएसआर निधि के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार इस्पात संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निदेशकों की नियुक्ति और कार्यकरण में सुधार के संबंध में विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) इस्पात क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों में अनियमितताओं की पहचान एक नियमित गतिविधि है, जो स्थापित क्रियाविधि के माध्यम से की जाती है और पुनरावृत्ति रोकने हेतु लागू नियमों के अनुसार निष्कर्षों पर कार्रवाई की जाती है।

(ख) अधिप्राप्ति में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु, सरकार के जैम प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हुए एक एंड-टू-एंड ई-अधिप्राप्ति प्रणाली, जहाँ भी लागू हो अपनाई गई है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जैम) के बाहर की अधिप्राप्ति के लिए, सभी सरकारी अधिप्राप्ति दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है, जिनमें गैर-जैम निविदाओं और अनुबंधों का विवरण सार्वजनिक जानकारी हेतु केंद्रीय सार्वजनिक अधिप्राप्ति पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है। अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं की नियमित रूप से लेखा-परीक्षा की जाती है, और सभी टिप्पणियों या सुझावों को उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है।

जारी.....2/

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि के उपयोग में पारदर्शिता एक संरचित निगरानी अधिप्राप्ति के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। प्रत्येक संयंत्र और इकाई में सीएसआर नोडल अधिकारी और अंतर्विभागीय कार्यात्मक समूह परियोजनाओं की शुरुआत से समाप्ति तक निगरानी करते हैं, जिसका समर्थन प्रलेखित आधारभूत आंकड़ों, स्पष्ट रूप से परिभाषित माइलस्टोन तथा माइलस्टोन से जुड़े भुगतानों से होता है। नियमित फील्ड दौरा और लाभार्थी फीडबैक इस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं। प्रगति रिपोर्ट तिमाही आधार पर संकलित की जाती है और सीएसआर समिति द्वारा समीक्षा की जाती हैं, जो आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करती है। प्रमुख परियोजनाओं का स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन या सामाजिक लेखा-परीक्षा करवाई जाती है। सीएसआर क्रियान्वयन की निगरानी सीएसआर पर बोर्ड की उप-समिति द्वारा की जाने वाली नियमित समीक्षा के माध्यम से और सुदृढ़ की जाती है।

(ग) इस्पात क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक उधयमों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों और कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति सरकार के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है, जिसमें रिक्तियों का खुला विज्ञापन/परिचालन, चयन साक्षात्कार, तत्पश्चात केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सतर्कता स्वीकृति, तथा अनुशंसित उम्मीदवार के लिए सरकार की स्वीकृति शामिल है। नियुक्ति के पश्चात, निदेशकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

******